[2021] 8 एस. सी. आर. 537

पंकज कुमार

वी.

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं. 4864 2021 का)

19 अगस्त, 2021

[उदय उमेश ललित और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000: एसएस। 72 , 73 और 74-बिहार और झारखंड में सेवाओं से संबंधित प्रावधान-आरक्षण का लाभ

- बिहार राज्य के निवासी व्यक्ति को अधिकार-1950 का आदेश, जातियों/जनजातियों की पहचान करना जिसके द्वारा बिहार के एकीकृत राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ दिया जाता है-इसके बाद बिहार राज्य को दो उत्तराधिकारी राज्यों, बिहार राज्य और झारखंड राज्य में विभाजित कर दिया गया, जिसमें 2000 के अधिनियम द्वारा संरक्षित अधिकार और विशेषाधिकार हैं-उक्त व्यक्ति, यदि अभी भी उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में प्रवासी माने जा सकते हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रोजगार के लिए उनके विशेषाधिकारों और आरक्षण के लाभों से वंचित कर दिया जाता है, जिसके लिए मौजूदा या उनके वंशजों ने एकीकृत राज्य बिहार में लाभ उठाया हैः व्यक्ति उत्तराधिकारी राज्य बिहार या झारखंड राज्य में से किसी एक में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है, लेकिन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों में एक साथ विशेषाधिकार और आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

चूंकि यह अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के जनादेश को विफल कर देगा, जो लोग आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं और उत्तराधिकारी राज्य बिहार के निवासी हैं, झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेते समय उन्हें प्रवासी माना जाएगा और यह बिना किसी दावे के सामान्य श्रेणी में भाग लेने के लिए खुला होगा।

आरक्षण का लाभ और इसके विपरीत। 73 यह अभिधारणा करता है कि न केवल वर्तमान सेवा शर्तों की रक्षा करने के लिए, बल्कि बिहार राज्य में निर्धारित दिन या उससे पहले जो आरक्षण और विशेषाधिकार प्राप्त कर रहा था, उसके लाभ को झारखंड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद उसके नुकसान के लिए नहीं बदला जाएगा-इसे देखते हुए, यह उनके हित के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा यदि विशेषाधिकारों और लाभों के साथ आरक्षण का लाभ प्रवाहित होता है।

झारखंड राज्य में पदधारी के अवशोषित होने के बाद उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है-वे कर्मचारी जो नियत दिन या उससे पहले बिहार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में थे, इसके अलावा

झारखंड राज्य, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने झारखंड राज्य की सेवा करने का अपना विकल्प प्रस्तुत किया है, उनकी मौजूदा सेवा शर्तें उनके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होंगी और एस के आधार पर संरक्षित हैं। 73 - ऐसे कर्मचारी जो एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी. के सदस्य हैं जिनकी जाति/जनजाति को अधिसूचित किया गया है,

विशेषाधिकारों और उनके प्रवाहित होने वाले लाभों सहित आरक्षण को एस के आधार पर संरक्षित किया जाएगा। 73 उन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए जिनका सार्वजनिक रोजगार संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में भागीदारी के लिए (उनके बच्चों सहित) दावा किया जा सकता है।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 को लागू करके, जहां तक सेवारत कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का संबंध है, वास्तव में अधिनियम 2000 के भाग VIII के तहत धारा 74 के साथ पठित धारा 73 के आधार पर संरक्षित किया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियुक्त किया गया था निर्धारित तिथि से तुरंत पहले, अब उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में आने वाले किसी भी क्षेत्र में बिहार राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी पद या पद का धारण या निर्वहन उत्तराधिकारी राज्य में उसी पद या पद पर बना रहेगा, बशर्ते कि बिहार राज्य में रहने के लिए विकल्प का प्रयोग किया गया हो, उन्हें उत्तराधिकारी राज्य के पद या पद पर विधिवत नियुक्त माना जाएगा। नतीजतन, ऐसे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं

15 नवंबर, 2000 को या उससे तुरंत पहले, उन 18 जिलों में जिन्हें अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में झारखंड राज्य का हिस्सा बनाया गया है, उन्हें संबंधित उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में नियुक्त माना जाएगा, उनकी सेवा शर्तों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जाएगा। [पैरा 48] [564-बी-ई]

1.2 अधिनियम 2000 की योजना में कहा गया है कि कर्मचारी

जो बिहार राज्य में नियत तारीख को या उससे तुरंत पहले काम कर रहे हैं, उनके पास या तो उन जिलों का अधिवास है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य का हिस्सा बने हैं या अपनी संबंधित वरिष्ठता में कनिष्ठ होने का विकल्प चुनते हैं या शामिल होते हैं, वे उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में समाहित होते हैं और एक वैधानिक साधन के आधार पर, उनकी सेवा की शर्तें संरक्षित होती हैं और पंजाब कुमार बनाम बन जाती हैं।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस.

वे विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार हैं जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य राष्ट्रपति के आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के अनुसार हकदार हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

समय। [पैरा 49] [565-एफ-जी]

1.3 झारखंड राज्य के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में एक मौलिक द्वंद्व है कि मौजूदा सेवा शर्तों में आरक्षण का लाभ शामिल है। पदोन्नति संवर्ग का पद उनके नुकसान के अनुसार नहीं बदला जाएगा।

लेकिन उसे झारखंड राज्य में एक प्रवासी माना जाएगा जब वह खुले में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक रोजगार में भाग ले रहा होगा।

सामान्य श्रेणी और में आरक्षण का लाभ लेने के लिए कहा गया

पड़ोसी राज्य बिहार को, झारखंड राज्य की सेवा का सदस्य बनने के बाद अपने मूल राज्य झारखंड में अलग दर्जा प्राप्त करना, नियत दिन, यानी 15 नवंबर, 2000 को और उसके बाद राज्य में पर्याप्त लंबे समय तक सेवा करना कानून में अस्थिर है और अधिनियम 2000 की योजना का उल्लंघन है। [पैरा 52] [567-डी-ई] 1.4 यदि विशेषाधिकारों और लाभों के साथ आरक्षण का लाभ मिलता है तो यह उनके हितों के लिए अत्यधिक अनुचित और हानिकारक होगा।

झारखंड राज्य में इसके बाद इन्हें संरक्षित नहीं किया जा रहा है।

वह अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर अवशोषित है जो स्पष्ट रूप से न केवल मौजूदा सेवा शर्तों की रक्षा करने के लिए बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों के लाभ की रक्षा करने के लिए अभिनिर्धारित करता है जो वह प्राप्त कर रहा था।

बिहार राज्य में नियत दिन, अर्थात 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले, झारखंड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद उसके नुकसान के लिए परिवर्तन नहीं किया जाएगा। [पैरा 53] [567-एफजी]

1.5 अधिनियम के प्रावधानों का सामूहिक अध्ययन,

2000 यह स्पष्ट करता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके मूल/अधिवास का स्थान नियत दिन या उससे पहले बिहार राज्य का था, अब उन जिलों/क्षेत्रों के भीतर आते हैं जो एक उत्तराधिकारी राज्य बनाते हैं, अर्थात धारा 3 के तहत झारखंड राज्य।

अधिनियम, 2000 झारखंड राज्य का एक ही समय में सामान्य निवासी बन गया, जहाँ तक कि वे कर्मचारी जो बिहार राज्य में नियत दिन, यानी 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले, अधिनियम 2000 के तहत सार्वजनिक रोजगार में थे, उन लोगों के अलावा जो [2021] 8 एस. सी. आर. का हिस्सा बने किसी भी जिले के अधिवासी हैं।

झारखंड राज्य, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना विकल्प प्रस्तुत किया है या ऐसे कर्मचारी जिन्होंने भारत सरकार की नीति के अनुसार अपनी वरिष्ठता के संवर्ग में कनिष्ठ हैं, जिनके बारे में एक संदर्भ दिया गया है, या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से झारखंड राज्य की सेवा करने के लिए आह्वान करते हैं, उनकी मौजूदा सेवा शर्तों में उनके नुकसान के लिए भिन्नता नहीं होगी और अधिनियम, 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित है। [पैरा 54] [568 ए-डी]

1.6 ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, जिनकी जाति/जनजाति को अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया है या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए अलग अधिसूचना द्वारा, विशेषाधिकारों और उनके प्रवाहित लाभों सहित आरक्षण का लाभ, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित रहेगा।

जिनका सार्वजनिक रोजगार में भागीदारी के लिए (उनके बच्चों सहित) दावा किया जा सकता है। [पैरा 55] [568-डी-ई]

341 (1) और संविधान के 342 (1) और वे जो आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं और उत्तराधिकारी राज्य के निवासी हैं। झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेते समय बिहार सरकार को प्रवासी माना जाएगा और यह भाग लेने के लिए खुला रहेगा।

सामान्य श्रेणी में आरक्षण के लाभ का दावा किए बिना और इसके विपरीत। [पैरा 56] [568-ई-एफ] 1.8 2020 की सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) No.13473 में अपीलार्थी, झारखंड राज्य में एक सेवारत कर्मचारी होने के नाते

अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर, झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों को भागीदारी सहित सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य विशेषाधिकारों और लाभों सहित आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार होगा। सार्वजनिक रोजगार की तलाश में खुली प्रतियोगिता में। [पैरा 57] [568 जी-एच; 569-बी] पंकाज कुमार बनाम।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस.

1.9 सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) संख्या में अपीलार्थियों के संबंध में। 3610-3615 2021 के संबंध में, उनमें से किसी ने भी इस बात को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है कि वे उन जिलों में कितने समय से रह रहे थे जो अब झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य का हिस्सा हैं और वर्ष 2004 का विज्ञापन। आवश्यक है कि किसी को झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनमें से कोई भी नहीं

कांस्टेबल के पद के लिए चयन करने वाले झारखंड राज्य द्वारा 13 जनवरी, 2004 को जारी विज्ञापन और यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि किसी भी अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लेते समय गलत तरीके से प्रस्तुत किया है या जाति/जनजाति/ओ. बी. सी. जिसके लिए अपीलकर्ता में से कोई भी संबंधित है, संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित नहीं किया जा रहा है, जिसे अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में संशोधित किया गया है या ओ. बी. सी. का वर्ग जिसे झारखंड राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है और एक बार अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के बाद, 3-4 वर्षों के लिए चयन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उनकी सेवाएं जून, 2008 में समाप्त हो गईं और जिनकी कभी गलती नहीं थी, वे मुकदमेबाजी में लगभग 13 साल खो चुके हैं और बाद के चरण में रोजगार प्राप्त नहीं कर सके हैं। अपने पूर्ण अधिवेशन का अभ्यास करते हुए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों और प्रदान की गई सेवा की अवधि पर ध्यान देते हुए

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति, पूर्ण न्याय करने के लिए, प्रत्येक अपीलार्थी वेतन और भत्तों आदि के काल्पनिक निर्धारण पर सेवा में बहाली का हकदार है। [पैरा 58,59] [569-ए-सी, डी-जी]

1.10 उच्च न्यायालय का बहुमत निर्णय है -

अस्थिर और अलग रखा जाता है। सिद्धांत रूप में अल्पमत निर्णय से सहमति नहीं है। [पैरा 60] [569-जी-एच; 570-ए] [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.11 2020 की सिविल अपील @एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 13473 में अपीलार्थी को संदर्भ में उसके चयन के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

विज्ञापन नं. 11 वर्ष 2007 से वह अपनी वरिष्ठता के लिए योग्यता के क्रम में अपनी नियुक्ति के अनुसार काल्पनिक निर्धारण के साथ हकदार है।

वेतन और भत्ते और सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) संख्या। 3610 3615 2021 के प्रत्येक अपीलार्थी की समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और अपीलार्थी को काल्पनिक वेतन और भत्तों के साथ सेवा में बहाल किया जाएगा और वे नियुक्ति/बहाली की तारीख तक वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे। [पैरा 61] [570-बी-डी]

मेडिकल कॉलेज और अन्य (1990) 3 एस. सी. सी. 130: [1990] 2 एस. सी. आर. 843; महाराष्ट्र राज्य और अन्न। वी. भारत संघ और एक अन्य (1994) 5 एस. सी. सी. 244: [1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 714; बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य (2018) 10 एससीसी 312: [2018] 10 एससीआर 513; सुधाकर विठ्ठल कुंभारे वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2004) 9 एस. सी. सी. 481: [2003] 5 पूरक। एससीआर 746; सौ कुसुम बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2009) 2 एस. सी. सी. 109: [2008] 17 एससीआर 675; एमसीडी बनाम वीणा और अन्य (2001) 6 एस. सी. सी. 571: [2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 493; कुमारी माधुरी

पाटिल और एक अन्य वी। एडल्ट। आयुक्त, जनजातीय

विकास और अन्य (1994) 6 एससीसी 241: [1994] 3

पूरक। एस. सी. आर. 50 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[1990] 2 एससीआर 843

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1994] 1 पूरक। एससीआर 714

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2018] 10 एससीआर 513

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2003] 5 पूरक। एससीआर 746

पैरा 17

संदर्भित किया गया है

[2008] 17 एससीआर 675

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2001] 1 पूरक। एससीआर 493

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

[1994] 3 पूरक। एससीआर 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 51 पंकाज कुमार बनाम। झारखंड राज्य और ओ. आर. एस.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4864

2021 . 2018 के एल. पी. ए. No.80 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.02.2020 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2021 की सिविल अपील Nos.4865-4870

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एसजी, अरुणाभ चौधरी, एएजी, अक्षय अमृतांशु, सौरभ मिश्रा, कानू अग्रवाल, सुश्री सुहासिनी सेन, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री तुलिका मुखर्जी, जैन खान, श्वेतांक सिंह, सुश्री आस्था श्रेष्ठ, हिमांशु शेखर, जमनेश कुमार, अमित पवन, आनंद नंदन, सुमित गडोडिया, कौशिक पोद्दार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर तत्काल अपीलों के समूह को प्राथमिकता दी गई है।

24 फरवरी, 2020 में 2 के बहुमत के साथ तीन न्यायाधीशों द्वाराः 1 .

3. इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक विवाद की उचित समझ के लिए तथ्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

4. 2020 की सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) संख्या 13473 में, अपीलार्थी के पिता मूल रूप से बिहार राज्य के जिला पटना के थे, लेकिन

आरोप है कि अपीलार्थी का जन्म 27 नवंबर, 1974 को हजारीबाग में हुआ था, जहाँ उनके पिता रह रहे थे, जो पहले बिहार के एकीकृत राज्य का हिस्सा था, लेकिन बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 2000" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के नियत दिन से लागू होने के बाद, यानी 15 नवंबर 2000, जिला हजारीबाग झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य का हिस्सा बन गया।

5. यह उनके द्वारा अनुरोध किया गया विशिष्ट मामला था कि उनका जन्म और पालन-पोषण उस क्षेत्र के भीतर हुआ था जो अब झारखंड राज्य में है। वह अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है और

प्रमाण पत्र झारखंड राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था। उन्हें 21 दिसंबर, 1999 को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था और झारखंड की राजधानी रांची के एक स्कूल में तैनात किया गया था।

21] 8 एस सी आर।

अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित पद के खिलाफ और राज्यों के विभाजन पर संवर्ग संशोधन के अनुसार, उन्होंने झारखंड राज्य को चुना। एक शिक्षक के रूप में सेवा करते हुए, आगे बढ़ने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, वे तीसरी संयुक्त सिविल सेवा में अनुसूचित जाति श्रेणी के सदस्य के रूप में उपस्थित हुए। परीक्षा, 2008 एक विज्ञापन सं. 11 2007 का झारखंड राज्य द्वारा प्रकाशित।

6. उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के साथ-साथ मुख्य परीक्षा भी पास की, जिसके बाद एक साक्षात्कार हुआ और अंतिम परिणाम वर्ष 2010 में प्रकाशित हुआ।

उनका नाम एस. एल. में दिखाई दिया। 17 रिक्तियों के लिए आरक्षित संख्या 5

अनुसूचित जाति श्रेणी। लेकिन जब उनकी नियुक्ति आदेश को रोक दिया गया और अनुसूचित जाति श्रेणी में योग्यता के क्रम में कम व्यक्तियों को 11 अगस्त, 2010 को नियुक्त किया गया, तो राज्य के अधिकारियों से योग्यता के क्रम में रखे जाने के बावजूद नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के बारे में उनकी अज्ञानता का कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 7. झारखंड राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह स्वीकार किया गया था कि अपीलार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है और उसने

उनका विधिवत अनुसूचित जाति श्रेणी में चयन किया गया था, लेकिन उनका बचाव यह था कि उनकी सेवा पुस्तिका से संकेत मिलता है कि वह बिहार राज्य के जिला पटना के स्थायी निवासी हैं, उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाना है। नतीजतन, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2008 में आयोजित चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी में।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 13 अक्टूबर, 2017 के एक फैसले द्वारा रिट याचिका को एक निर्देश के साथ अनुमति दी

प्रत्यर्थी राज्य अपने पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करेगा, जो

लेटर्स पेटेंट अपील में राज्य द्वारा चुनौती दी गई थी और 2 के बहुमत के साथ विवादित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थीः 1 .

9. सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) संख्या (ओं) में अपीलों का अन्य समूह।

3610-3615 2021 को अपीलार्थियों द्वारा कथित रूप से प्राथमिकता दी जाती है जो नियत दिन, यानी 15 नवंबर, 2000 को झारखंड राज्य में रह रहे थे और निम्नलिखित के अनुसार आयोजित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद

13 जनवरी, 2004 के एक विज्ञापन में झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के खिलाफ कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके लगभग एक दशक तक सेवा करने के बाद

उनकी सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया था कि वे हैं

तीन साल,

बिहार राज्य के स्थायी निवासी और पंकाज कुमार बनाम जाति उत्पन्न की थी।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

बिहार राज्य के प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इसलिए 16 जून, 2008 के एक आदेश द्वारा उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं हो सकता है।

10. बर्खास्तगी के आदेश को रिट दाखिल करके चुनौती दी गई

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था 30 जनवरी, 2015। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने एल. पी. ए. को प्राथमिकता दी जिसे अपीलकर्ता पंकज कुमार द्वारा पसंद किए गए एल. पी. ए. के साथ जोड़ा गया और सभी समान मामलों की सुनवाई की गई और विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया जो अपीलों के तत्काल समूह में चुनौती का विषय है।

11. अपीलार्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि एकीकृत राज्य बिहार में, सभी अपीलार्थियों को नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों की डिग्री और तत्व का सामना करना पड़ा।

संविधान से परिलक्षित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उनकी जाति/जनजाति को शामिल करने के लिए इनपुट का गठन करना।

(बिहार राज्य में अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950।

12. यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी पंकज का मूल स्थान

कुमार के वंशज पटना जिले के थे, लेकिन उनका जन्म 27 नवंबर, 1974 को हजारीबाग जिले में हुआ था और वर्ष 1989 से वे रांची जिले के निवासी हैं, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में 21 दिसंबर, 1999 को रांची के एक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अधिनियम, 2000 की धारा 74 के साथ पठित धारा 73 के संदर्भ में, वे झारखंड राज्य के सामान्य निवासी बन गए और झारखंड राज्य के अधिकारियों द्वारा यह विवादित नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता का जाति प्रमाण पत्र, जाने के बाद। अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अंतःस्थापित पांचवीं (भाग वी. आई. ए.) और छठी (भाग XXII) अनुसूची के संदर्भ में झारखंड राज्य में उन्हें नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों की कठोरता के माध्यम से जारी किया गया है।

13. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च द्वारा व्यक्त किया गया विचार

अपीलार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करने में आक्षेपित निर्णय के अधीन न्यायालय

झारखंड राज्य में प्रवास करना न केवल संविधान के अनुच्छेद 341 (1) का उल्लंघन है, बल्कि अधिनियम, 2000 की योजना और मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, [2021] 8 एस. सी. आर. मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा दिए गए प्रवास के सिद्धांतों पर निर्भरता का भी उल्लंघन है।

सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज और अन्य 1; महाराष्ट्र और अन्र राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्य समिति। बनाम भारत संघ और अन्य 2; और बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड और अन्य 3 का तत्काल मामले के तथ्यों में कोई आवेदन नहीं है।

1950 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत, पदधारी प्रवासी ने उस राज्य में अपने अधिकार का दावा किया जहां वह अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रवासित हुआ था। प्रवासी बाद के राज्य में दावा करने का हकदार नहीं था।

15. लेकिन अपीलार्थी का मामला बिहार राज्य से झारखंड राज्य में स्वैच्छिक या अनैच्छिक प्रवास का नहीं है, बल्कि यह एक

जहां एकीकृत बिहार राज्य को अधिनियम, 2000 के तहत दो उत्तराधिकारी राज्य बिहार और झारखंड राज्य में विभाजित किया गया है और समय-समय पर संशोधित राष्ट्रपति आदेश 1950 के तहत जाति/जनजाति को शामिल करने के साथ, एकीकृत बिहार राज्य में संबंधित सदस्यों द्वारा सामना किए जा रहे नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों के कारण जाति की पहचान की गई थी, जो सार्वजनिक रोजगार के लिए पूरे झारखंड राज्य में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार थे।

16. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार राष्ट्रपति ने अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के अनुसार पांचवें को अधिसूचित किया है और

झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य के लिए संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की छठी अनुसूची जिसमें शामिल हैं - अपीलार्थी जिस जाति से संबंधित है, उसका उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के सदस्यों को उपलब्ध विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने से उसे वंचित करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

17. संबंधित अपीलों में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील, इसके अलावा, आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी एकीकृत राज्य बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं और राज्य के निर्माण के बाद

झारखंड में अधिनियम 2000 के तहत उनकी जातियों/जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) को विधिवत लागू किया जा रहा है।

1 1 1990 (3) एस. सी. सी. 130 2 1994 (5) एस. सी. सी. 244 3 2018 (10) एस. सी. सी. 312 पंकज कुमार बनाम।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

दोनों राज्यों, अर्थात बिहार राज्य और बिहार राज्य में मान्यता प्राप्त

झारखंड और बिहार राज्य में आरक्षण के लाभ की मांग करने वाले उनके अधिकारों को बिहार पदों और सेवाओं (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (इसके बाद "अधिनियम 1991" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) में रिक्तियों के बिहार आरक्षण में एक संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा धारा 4 में जोड़े गए एक परंतुक द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो इसे केवल उन लोगों तक सीमित करता है जो बिहार राज्य में रह रहे हैं और यदि उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाता है।

उत्तरदाताओं द्वारा आरक्षण के लाभ की मांग करने वाले अपने दावों को रद्द करने के लिए प्रस्तावित, वे दोनों राज्यों (बिहार और झारखंड) में आरक्षण का दावा करने और सुधाकर विट्ठल कुंभारे बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले की सहायता लेने से वंचित हो जाएंगे।

और अन्य और सौ कुसुम बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य ", वकील प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने उनके दावे को अस्वीकार करने में एक गंभीर त्रुटि की है और अल्पसंख्यक दृष्टिकोण संविधान के जनादेश और अधिनियम 2000 के स्पर्श पत्थर पर आधारित है जो संविधान के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृति के योग्य है। 18. विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने विवादित फैसले के अल्पमत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने 22 फरवरी, 1985 को एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति केवल अपने गृह राज्य के भीतर लाभ का दावा करने के हकदार हैं, न कि उस राज्य में जहां वे प्रवास कर चुके हैं और इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आगे मंजूरी दी है कि कोई व्यक्ति केवल अपने गृह राज्य में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है, न कि उस राज्य में जो प्रवास कर चुका है।

19. विद्वान महान्यायवादी आगे प्रस्तुत करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति

किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, विशेष रूप से जातियों को अधिसूचित करता है,

जातियाँ या जनजातियाँ या जातियों, जातियों या जनजातियों के भीतर के भाग या समूह जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति माने जाएंगे और यह

उस राज्य में पदधारी द्वारा दावा किए जाने वाले लाभ जहां कोई व्यक्ति सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रवास कर चुका है।

20. संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के प्रयोग में जारी राष्ट्रपति के आदेश ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में जातियों/जनजातियों को अधिसूचित किया और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में अलग से अधिसूचना जारी की। बिहार के एकीकृत राज्य में लागू। यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि ऐसी जातियों के सदस्यों के विपरीत, जिन्हें अधिसूचित किया जाता है, उनके नुकसान और सामाजिक कठिनाइयों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा देखा गया है और मूल स्थान प्राधिकरण के लिए यह जांच करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या व्यक्ति संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का हकदार है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, वह सार्वजनिक रोजगार प्राप्त करने और बिना किसी प्रतिबंध के पूरे राज्य में विशेषाधिकारों और लाभों का लाभ उठाने का पात्र हो जाता है।

21. बिहार के एकीकृत राज्य के बाद दो उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित किया गया है, अर्थात बिहार राज्य और झारखंड राज्य।

15 नवंबर, 2000 से अधिनियम 2000 और एकीकृत राज्य बिहार के 18 जिलों को झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य के लिए अधिनियम, 2000 की धारा 3 के तहत बनाया गया था, जिसमें अधिनियम के तहत एक और सवार/प्रतिबंध के साथ अधिनियम की धारा VIII के तहत प्रतिबिंबित किया गया था, जो सेवारत कर्मचारियों के लिए संबंधित है और धारा 74 के साथ पठित धारा 73 विशेष रूप से निर्धारित तिथि, 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले काम करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, और जो अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिसूचित 18 जिलों के निवासी हैं, वे झारखंड राज्य का हिस्सा बन गए हैं, दिए गए परिस्थितियों में उनके अधिकार सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित हैं, झारखंड राज्य के लिए यह कहना न्यायसंगत नहीं हो सकता है कि उनके जाति प्रमाण पत्र सहित पदधारी के अधिकार जो उनके पास हैं,

इस कारण से कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उनका मूल स्थान बिहार राज्य में है, विशेष रूप से जब वे निर्धारित तिथि, यानी 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले या तो झारखंड का हिस्सा बने 18 जिलों में से किसी एक में काम कर रहे थे या ऐसे कर्मचारी जो

निविदा विकल्प के अनुसार, उनकी सेवाओं को अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर संरक्षित किया गया था और ऐसे वर्ग के अधिकारियों को झारखंड राज्य में प्रवासी नहीं माना जाएगा और उनके अनुसार, उनके मामले सुधाकर विट्ठल में इस न्यायालय के फैसलों के दायरे में आते हैं।

कुंभारे (ऊपर) और सौ कुसुम (ऊपर) और प्रस्तुत करते हैं कि पंकाज कुमार बनाम।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

विद्वान न्यायाधीश ने व्यक्त किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के आदेश 1950 के तहत बिहार राज्य और झारखंड राज्य में अधिसूचित जातियों से संबंधित हैं, वे दोनों राज्यों में आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार हैं। कि कोई भी किसी भी राज्य में आरक्षण के लाभ का दावा कर सकता है और एक बार जब ये पदाधिकारी झारखंड राज्य के सामान्य निवासी बन जाते हैं, तो वे केवल झारखंड राज्य में आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार होते हैं और यही कारण है कि बिहार राज्य द्वारा अधिनियम 1991 के तहत 2003 के संशोधन की धारा 4 में एक परंतुक जोड़कर संशोधन किया गया है, जो दर्शाता है कि जो लोग बिहार राज्य से बाहर रह रहे हैं, वे अधिनियम 1991 के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

22. इसके विपरीत, दूसरी ओर, झारखंड राज्य के विद्वान वकील ने विवादित फैसले के बहुमत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए

प्रस्तुत करता है कि अपीलकर्ता न तो मूल निवासी हैं और न ही 18 जिलों के स्थायी निवासी हैं जो अधिनियम 2000 की धारा 3 के अनुसार झारखंड राज्य का हिस्सा हैं। वे मूल रूप से स्थायी निवासी और उन क्षेत्रों के निवासी हैं जो अब बिहार के उत्तराधिकारी राज्य का एक अभिन्न अंग हैं और अनुच्छेद 341 और 342 भारत के संविधान की, जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा मारी चंद्र शेखर राव (ऊपर) में व्याख्या की गई है; कार्रवाई

अनुसूचित जातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए समिति

और महाराष्ट्र और अन्न राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ। (उपर्युक्त) और बीर सिंह (उपर्युक्त) और 22 मार्च, 1977 के सरकारी आदेश पर ध्यान देते हुए, जिसके बाद 22 फरवरी, 1985 के सरकारी आदेश का पालन किया गया, प्रस्तुत करते हैं कि सभी पदाधिकारी निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों और उनकी जाति को अधिनियम, 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में झारखंड राज्य में संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में एक संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया है, लेकिन वे बिहार राज्य में आरक्षण का लाभ लेने के हकदार होंगे और यह तथ्य कि वे निर्धारित तिथि, यानी 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले झारखंड राज्य में रह रहे हैं, केवल अधिनियम 2000 के अध्याय VIII के तहत अपने अधिकारों/सेवा शर्तों की रक्षा करेंगे, और यदि उनमें से कोई भी सार्वजनिक रोजगार की मांग करने या अन्य विशेषाधिकारों आदि का दावा करने के लिए खुले चयन में उपस्थित होना और भाग लेना चाहता है, तो उन्हें झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाएगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उनकी जाति को उत्तराधिकारी में अधिसूचित किया जा रहा है।

1950 के राष्ट्रपति आदेश में एक संशोधन द्वारा झारखंड राज्य और एक बार इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से व्याख्या किए जाने के बाद, जिसका एक संदर्भ दिया गया है, उनके दावे पर उचित रूप से विचार किया गया है और विवादित निर्णय में व्यक्त किए गए बहुमत के दृष्टिकोण से खारिज कर दिया गया है और इसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 23. हमने पक्षों द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

24. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के जनादेश का वास्तव में हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान है।

संवैधानिक योजना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और अनुच्छेद 342 (1) राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माने जाने वाले संविधान के उद्देश्य के लिए जाति या जनजाति या जाति, जाति या जनजाति के भीतर समूहों के हिस्से को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना है जिससे वे पीड़ित हैं। यह स्पष्ट है कि जातियों, नस्ल या जनजातियों को निर्दिष्ट करने में राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है।

अधिसूचना को जातियों आदि वाले समूहों के कुछ हिस्सों तक सीमित करना और इसका मतलब यह होना चाहिए कि जिन नुकसानों से वे पीड़ित हैं और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की जांच के बाद, राष्ट्रपति पूरे राज्य के संबंध में जातियों/जनजातियों आदि को इसके भागों के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

या राज्य के उन हिस्सों के संबंध में जहां वह संतुष्ट है कि नुकसान, सामाजिक और शैक्षिक कठिनाई और जाति, जाति या जनजातियों के पिछड़ेपन की जांच के बाद इस तरह के विनिर्देश को उचित ठहराता है।

अनुच्छेद 341 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश या अनुच्छेद 342 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित एक आदिवासी समुदाय को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में संविधान के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माना जाएगा और यह व्याख्या संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के खंड (2) से स्पष्ट की गई है। 26. किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी विशेष हिस्से में किसी जाति/नस्ल को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देने के लिए विभिन्न मानदंड हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से पंकज कुमार बनाम के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के अधिदेश से प्रकट होता है।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

संविधान है कि विस्तृत पूछताछ के बाद, राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसा करते समय, राष्ट्रपति के आदेशों में न केवल यह प्रावधान है कि जाति, नस्ल या जनजातियों/जनजातियों के निर्दिष्ट भाग या समूह भी समुदाय किसी विशेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हो सकता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ जातियाँ या जनजातियाँ या उनके भाग/समूह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हो सकते हैं।

किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का निर्दिष्ट/विशेष क्षेत्र/जिला।

27. अनुसूचित जाति को निर्दिष्ट करने के लिए विचार या

किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग किस पर निर्भर करता है

राज्य विशिष्ट में संबंधित वर्ग के सदस्यों को होने वाले नुकसान और सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन/कठिनाइयों की प्रकृति और विस्तार, लेकिन यह किसी अन्य राज्य में अनुपस्थित हो सकता है जहां व्यक्ति प्रवास कर चुका है।

28. अतीत में जब भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ है,

संसद ने अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है और उन विशिष्ट जातियों/जनजातियों को अधिसूचित किया है जो पुनर्गठित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के हकदार थे। संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की योजना यह स्पष्ट करती है कि संसद का इरादा राज्य विशिष्ट/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आरक्षण का लाभ केवल जातियों, नस्लों या जनजातियों को देना था जैसा कि राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेख किया गया है।

29. राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यों के साथ परामर्श के बाद

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए संबंधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 को अधिसूचित किया गया है, जिसका हिस्सा इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैः

(अनुसूचित जाति)

भाग II-बिहार

1. पूरे राज्य मेंः

1. बौरी

11. मेहतर सहित हरि

12. कंजर

2. बंटर

3. भोगता

13. कुरारियार

14 . लालबेगी

4. चमार सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. चौपाल

15. मोची

16. मुसहर

6. धोबी

17. नैट

7. डोम

8. ढाड़ी सहित दुसाद या

18. पैन

19. पासी

धारही

20. राजवार

9. घासी

10. हलालखोर

21. तूरी

2. पटना और तीरथ संभागों और जिलों में

भागलपुर, पूर्णिया और पलामूः

भूमिज

3. पटना, शाहाबाद, गया और पलामू जिलों मेंः

भुइया

4. शाहाबाद जिले मेंः

डग्गर

(अनुसूचित जनजाति)

भाग II-बिहार

1. पूरे राज्य में:

1. असुर

15. खार

2. बैगा

16. खोन

17. किसर

3. बथुडी

4. बेदिया

18. कोरा

5. बिंजिया

19. कोर्व

20. लोहा।

6. बिरहोर

7. बिरजिया

21. महल

8. चेरो

22. माल.

9. चिक बाराइक

23. म्यूनिख

10. गोंड

24. ओराव

11. गोरैत

25. परहा पंकाज कुमार बनाम। झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

12. हो.

26. संताल

13. करमाली

27. सौरियापहारिया

14. खारिया

28. सावर

2. रांची, सिंगभूम, हजारीबाग, संताल जिलों में,

परगना और मानभूमः

भूमिज

30. यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि संविधान में (अनुसूचित

जाति) आदेश, 1950,21 जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है जो पूरे राज्य में लागू होता है। साथ ही, 'भूमिज, भुइया और डग्गर' जैसी जातियाँ हैं, जिनकी पहचान क्षेत्र के आधार पर की जाती है। संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में, 28 जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है जो पूरे राज्य में लागू होती हैं और कुछ क्षेत्रों में जाति 'भूमिज' अनुसूचित जातियों की अनुसूची में है और एकीकृत बिहार राज्य के अन्य जिलों/क्षेत्रों में उसी नामकरण की जाति 'भूमिज' को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ संशोधन वर्ष 1956 में और उसके बाद बाद के चरण में किए गए थे, लेकिन हो सकता है कि वे इसके लिए इतने प्रासंगिक न हों।

वर्तमान उद्देश्य।

31. यह पहचानने के लिए कि व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य है

जाति या अनुसूचित जनजाति, उसके लिए औचित्य साबित करना अनिवार्य हो सकता है और यह स्थापित करें कि वह उस जाति/जनजाति का सदस्य है जो नुकसान या सामाजिक कठिनाइयों या आर्थिक पीड़ाओं से पीड़ित रहा है।

1950 की राष्ट्रपति अधिसूचना में जातियों/जनजातियों के सदस्यों की पहचान की गई थी और उनकी पहचान की गई थी और जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को राज्य के मूल/अधिवासी और निवासी के स्थान को ध्यान में रखते हुए नियमों की योजना के तहत एक विवेकपूर्ण जांच या जांच करना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने का दावा करने वाला व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जाति प्रमाण पत्र जारी करने का पात्र है और हकदार है जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है और एक बार जब उसे प्रमाण पत्र जारी किया जाता

है, तो वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य बन जाता है, जैसा भी मामला हो, और उसके बच्चे भी बाद के चरण में विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

32. साथ ही, ऐसी जातियाँ/जनजातियाँ जो क्षेत्र आधारित हैं, पदधारी को पहली बार में स्थान प्रस्तुत करना होगा -

उस विशेष क्षेत्र का मूल/अधिवास जहां जाति/जनजाति की पहचान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में की गई है ताकि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने का हकदार हो, और पदधारी को जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, उसके बच्चे भी पूरे राज्य में कानून के तहत स्वीकार्य आरक्षण के विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार हो गए। 33. अधिनियम 2000 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो नियत दिन यानी 15 नवंबर 2000 को लागू हुआ था और अधिनियम 2000 की धारा 3 के तहत, झारखंड के एक उत्तराधिकारी राज्य का गठन किया गया था जिसमें एकीकृत राज्य बिहार के 18 जिले शामिल थे और उक्त क्षेत्र बिहार राज्य का हिस्सा नहीं थे। अधिनियम 2000 की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य के क्षेत्रीय विभाजन के अलावा, संविधान में प्रावधान किया गया था जिसमें विधायकों का प्रतिनिधित्व, लोक सभा, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदि शामिल थे। पूरे झारखंड राज्य में लागू होने के लिए अधिनियमित अधिनियम की धारा 23 और 24 के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित तिथि, 15 नवंबर, 2000 से राष्ट्रपति के आदेश 1950 में संशोधन किया गया था।

34. संविधान में संशोधन के बाद झारखंड राज्य के लिए अधिसूचित जातियों/जनजातियों को अधिसूचित करने वाला राष्ट्रपति आदेश 1950

(अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 को अनुसूची में शामिल करते हुए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

पाँचवीं अनुसूची

(खंड 23 देखें)

संविधान में संशोधन (अनुसूची)

कैस्टेस)

आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में,

अनुसूची,

(i) बिहार राज्य से संबंधित भाग III में, मद संख्या 5 में, कोष्ठक

और शब्द "(उत्तर छोटानागपुर और दक्षिण को छोड़कर)

छोटानागपुर संभाग और संथाल परगना जिला) "

हटा दिया गया; पंकाज कुमार बनाम। झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

((ii) भाग VI, हिमाचल प्रदेश के बाद, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगेः

अर्थात्ः

" पार्ट वाया-झारखंड

2. बौरी

3. भोगता

1. बंटर

5. चमार, मोची

6. चौपाल

4. भुइया

7. डग्गर

9. डोम,

8. धोबी

धनगढ़

10. दुसाद, धारी, धारी

11. घासी

12. हलालख

14. कंजर

13. बाल, मेहतार, भंगी

15. कुरायर

16. लालबेगी

18. नैट

17. मुसहर

21. राजवार

19. पान, सावसी

20. पासी

22. तूरी

छठी अनुसूची

(खंड 24 देखें)

संविधान के लिए अनुमोदन (अनुसूची)

ट्राइब्स)

आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में -

(1) पैराग्राफ 2 में, "XXI" आंकड़ों के लिए "XXI" आंकड़े हैं।

प्रतिस्थापित किया जाएगा; (2) अनुसूची में,

((i) बिहार राज्य से संबंधित भाग III में मद सं. 6 ए. आर.

उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा और

नं. 7 30 तक को आइटम संख्या के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। 6 29 तक;

((ii) भाग 21 के बाद, निम्नलिखित भाग अनिवार्य होगा। अर्थात्:

" भाग XXII-झारखंड

2. बैगा

3. बंजारा

1. असुर

6. बिंजिया

4. भथुडी

8. बिरजिया

9

. चेरो

7. बिरहोर

10. चिक बरैक

11. गोंड

1

2. गोरैत

15. खारिया

13. हो.

14. करमाली

16. खरवार

17. खोंड

1

8. किसान

2

1. लोहरा

19. कोरा

20. कोरवा

23. माल पहाड़िया

22. महली

2

4. मुंडा

26. परैया

25. उरांव

7. संथाल

0. भूमिज "।

28. सौरियापहारिया

29. सावर

35. यह ध्यान दिया जा सकता है कि एकीकृत राज्य बिहार में, ये

संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के तहत बहुत ही जातियों/जनजातियों की पहचान की गई है, यह पूरे बिहार राज्य में लागू होता है, जिसमें 18 जिले शामिल हैं जो अब अधिनियम, 2000 की धारा 3 के संदर्भ में बनाए गए झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं।

36. एकीकृत राज्य बिहार में, संविधान के संदर्भ में

(अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के बाद पदधारी को उसके मूल स्थान/अधिवास के आधार पर जारी किया गया है, जिससे वह पूरे बिहार राज्य में विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने का हकदार बन गया है। पांच दशकों से अधिक समय तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य के रूप में विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करने के बाद, नवंबर 2000 में अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में पांचवीं और छठी अनुसूची शुरू करने वाली संशोधन अधिसूचना जारी करने के समय, वही जातियां/जनजातियां/अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अब अधिनियम 2000 की धारा 3 के आधार पर झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में स्थित हैं, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उत्तराधिकारी राज्य के निवासियों पर लागू हो गए।

37. मैरी चंद्र मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ

शेखर राव (उपरोक्त) के पास इस बात की जांच करने का अवसर था कि क्या किसी विशेष राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्ति किसी अन्य राज्य में शिक्षा/रोजगार के मामले में अनुसूचित जातियों को दिए गए लाभों या रियायतों का हकदार होगा। संविधान के विभिन्न प्रावधानों और उन आधारों का उल्लेख करते हुए जिनके आधार पर राष्ट्रपति के आदेश जारी किए गए थे और पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

पंकाज कुमार बनाम। झारखंड राज्य और ओ. आर. एस.

[आरएएसटीओजी, जे।]

" 9. ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में

कुछ राज्यों को सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्हें नहीं करना पड़ा

विकास और विकास की सुविधाएँ हों। अतः यह है कि

उन्हें उन क्षेत्रों में समान बनाने के लिए आवश्यक है जहाँ वे

उनके पक्ष में आरक्षण या संरक्षण है ताकि वे कर सकें अधिक लाभप्रद या विकसित के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करें

समुदाय के वर्ग। चरम सामाजिक और आर्थिक

अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथाओं से उत्पन्न पिछड़ेपन

आम तौर पर एक समुदाय को शामिल करने के लिए मानदंड माना जाता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची। सामाजिक

हालाँकि, जाति की स्थितियाँ राज्य से राज्य में भिन्न होती हैं और

किसी भी जाति या किसी जनजाति का सामान्यीकरण करना उचित नहीं होगा।

पूरे देश के लिए अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति।

हालाँकि, यह एक अलग समस्या है चाहे वह सदस्य हो या देश के एक हिस्से में अनुसूचित जाति जो दूसरे हिस्से में पलायन करती है

राज्य या किसी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना जाना जारी रहना चाहिए

एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जिसमें वह प्रवास कर चुका हो।

उस प्रश्न का निर्णय ब्याज को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

पूरा देश "।

(जोर दिया गया)

38. इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कि सदस्य

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भारत के पूरे क्षेत्र में संविधान के उद्देश्य के लिए लाभ मिलना चाहिए। यदि इस तरह के विवाद को स्वीकार किया जाना है, तो "राज्य के संबंध में" अभिव्यक्ति ही

अपना महत्व खो देगी। मैरी चंद्र शेखर राव (उपरोक्त) के बाद महाराष्ट्र और अन्न राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई समिति में इस न्यायालय की एक और संविधान पीठ ने काम किया। ( ) जिसके बाद बीर सिंह (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ आई, जिसमें पैरा 34 में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

किसी अन्य राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना जिसे वह रोजगार या शिक्षा के उद्देश्य से पलायन करता है।

"उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में" अभिव्यक्तियाँ और

" इस संविधान के उद्देश्य के लिए "अनुच्छेद 341 और 342 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में उपयोग किया गया है।

21] 8 एस सी आर।

भारत के संविधान का अर्थ होगा कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के लाभ किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहेंगे, जिसके संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा अधिसूचित किया गया है। राज्य 'ए' में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है।

दूसरे राज्य में इस आधार पर समान स्थिति कि उसे राज्य 'ए' में अनुसूचित जाति घोषित किया गया है।

(जोर दिया गया)

39. जहाँ तक एक राज्य से दूसरे राज्य में अनैच्छिक प्रवास का संबंध है, मैरी में इस न्यायालय की संविधान पीठ चंद्रशेखर राव (ऊपर) उन जातियों/जनजातियों के भाग्य पर ध्यान देते हुए जो अनुसूचित जातियों के रूप में वर्गीकृत होने की सुरक्षा चाहते हैं या

अपने मूल के राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ जब अपने पिता या अभिभावक के व्यवसाय या सेवा के स्थानांतरण या आवाजाही के कारण, वे एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने प्रवास के भाग्य को अनैच्छिक मानते हुए दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के रूप में उनके अधिकार और विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के प्रावधानों के आधार पर अच्छी तरह से संरक्षित हैं और अनुच्छेद 23 में निम्नानुसार कहा गया है:

" 23. जिस तरह से हमने किया है, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के प्रावधानों का अर्थ लगाने के बाद, अगला प्रश्न

यह उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के भाग्य का सवाल है, जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत होने का संरक्षण मिलता है।

मूल राज्यों में, जब अपने पिता या अभिभावक के व्यवसाय या सेवा के स्थानांतरण या आवाजाही के कारण, वे स्वैच्छिक (एस. आई. सी. अनैच्छिक) हस्तांतरण के रूप में अन्य राज्यों में चले जाते हैं, तो क्या वे किसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपचार के हकदार होंगे ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें या आगे बढ़ सकें। ऐसी स्थिति के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जहां एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन अनैच्छिक है, रोजगार या पेशे की परिस्थितियों के बल पर, ऐसे मामलों में यदि छात्र या व्यक्ति प्रवासी राज्य में आवेदन करते हैं, जहां पंजाब कुमार v के बिना।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

अनुसूचित जातियों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना या

उन राज्यों या क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियाँ, कोई भी सुविधा या संरक्षण

अध्ययन जारी रखने या प्रवेश के लिए किसी को दिया जा सकता है जो प्रवास कर चुका है या फिर कुछ विचार किया जाना वांछनीय है

उस जमीन पर। इसलिए यह आवश्यक होगा और शायद

विधायिकाओं या संसद के लिए विचार करना वांछनीय है

इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधान ताकि

और संविधान की धारा 342। यह एक ऐसा मामला है जो राज्य विधायिका या संसद उचित रूप से इस पर विचार कर सकती है।

विचार करें "।

(जोर दिया गया)

40. पिछड़े वर्गों के संबंध में, एम. सी. डी. में यह न्यायालय।

'ईना एंड अदर्स' ने विशेष रूप से माना है कि प्रवासी इसके हकदार नहीं हैं

राज्यों/संघ में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) के रूप में सेवा

जहाँ वे प्रवास कर चुके हैं। संबंधित भाग

जिस पर ध्यान दिया जा सकता है वह इस प्रकार हैः

" 6. जाति या समूह किसी दिए गए राज्य के संबंध में निर्दिष्ट किए जाते हैं या

केंद्र शासित प्रदेश, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि ऐसी जाति उस राज्य के संबंध में किसी अन्य पिछड़ा वर्ग समूह से संबंधित जाति को शामिल करें

या केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए यह निर्दिष्ट किया गया है। वे मामले जो एक में एक विशेष जाति को निर्दिष्ट करने के लिए विचार किया जाना

ओ. बी. सी. से संबंधित विशेष समूह प्रकृति पर निर्भर करेगा।

उस राज्य में जाति या समूह। हालाँकि, यह दूसरे में ऐसा नहीं हो सकता है बताएँ कि वहाँ से संबंधित कोई व्यक्ति प्रवास द्वारा जाता है। यह.

यह भी हो सकता है कि एक ही नामकरण से संबंधित जाति है

दो राज्यों में विनिर्दिष्ट लेकिन जिनके आधार पर विचार

वे निर्दिष्ट किए गए थे जो पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। अतः डिग्री

विभिन्न तत्वों के नुकसान जो डेटा का गठन करते हैं विनिर्देशन भी पूरी तरह से अलग हो सकता है। इसलिए केवल इसलिए कि

किसी राज्य में दी गई जाति को ओ. बी. सी. के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

आवश्यक रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई अन्य समूह संबंधित है

दूसरे राज्य में एक ही नामकरण, से संबंधित एक व्यक्ति

वह समूह स्वीकार्य अधिकारों, विशेषाधिकारों और लाभों का हकदार है।

उस जाति के सदस्यों के लिए। इन पहलुओं को ध्यान में रखना होगा संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में ध्यान दें

ओ. बी. सी. क लेल आरक्षण लागू करबाक सन्दर्भ "।

(जोर दिया गया)

41. संविधान पीठ के निर्णयों द्वारा जिसके

यह तय किया गया है कि राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्ति, स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से दूसरे राज्य में प्रवास करने पर, विशेषाधिकारों और लाभों सहित आरक्षण के लाभों का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य के लिए स्वीकार्य है, भले ही उसी नामकरण की जाति या जनजाति को बाद के राज्य (राज्य जहां प्रवास किया गया है) में अधिसूचित किया गया है और यदि इसकी अनुमति दी जा रही है, तो "राज्य के संबंध में" संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के तहत अनिवार्य अभिव्यक्ति ही अनुचित हो जाएगी और इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की गई घोषणाओं के बाद यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं रहेगा।

42. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने भारी निर्भरता रखी है

गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1977 को जारी सरकारी आदेश के बाद 18 नवंबर, 1982,6 अगस्त, 1984 और 22 फरवरी, 1985 को जारी किया गया। जिन सरकारी आदेशों का संदर्भ दिया गया है, उन्हें समय-समय पर संबंधित सक्षम लोगों को जारी किए गए स्पष्टीकरण के रूप में सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकरण।

43. 22 फरवरी 1985 के सरकारी आदेश में, ए

यह स्पष्टीकरण दिया गया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो रोजगार, शिक्षा आदि के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए थे, उन्हें ऐसा माना जाएगा -

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अपने मूल राज्य में हैं और वे मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, न कि उस राज्य से जहां वे प्रवास कर चुके हैं। 22 फरवरी, 1985 के आदेश का उद्धरण नीचे दिया गया है:

शिक्षा, रोजगार आदि की तलाश को एक माना जाएगा अपने मूल के राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति को पंकाज कुमार बनाम का हकदार बनाया जाएगा।

मूल राज्य से लाभ प्राप्त करने के लिए, न कि उस राज्य से जिसमें वह प्रवास कर चुका है।

44. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि बिहार का उत्तराधिकारी राज्य जिसका प्रतिनिधित्व उनके वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया था

अधिनियम, 1991 के प्रावधानों को अभिलेख पर रखा गया और एक संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ी गई धारा 4 के प्रावधान पर जोर दिया गया ताकि यह उचित ठहराया जा सके कि जो लोग बिहार राज्य से बाहर रह रहे हैं, वे बिहार राज्य में नियुक्तियों के मामले में आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। अधिनियम 1991 में संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा धारा 4 में जोड़ा गया परंतुक यहाँ उद्धृत किया गया है:

" बशर्ते कि बिहार राज्य से बाहर रहने वाले उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत आरक्षण के लाभों का दावा नहीं करेंगे।

45. तत्काल मामले में, हम राज्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्वैच्छिक या अनैच्छिक प्रवास के मुद्दे की जांच नहीं कर रहे हैं

' ए 'दूसरे राज्य' बी 'के लिए जो एससी/एसटी/ओ. बी. सी. के सदस्य के लिए स्वीकार्य विशेषाधिकारों/लाभों का दावा करता है, भले ही उनकी कोई जाति या जनजाति हो। बाद के राज्य में नामकरण।

46. तत्काल अपीलों में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उभरता है, वह यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो राज्य का निवासी रहा है।

बिहार और जहां जातियों/जनजातियों की पहचान करने वाला संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 पूरे एकीकृत राज्य बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लाभ प्रदान करने के लिए जारी किया गया है, जिसे बाद में एक वैधानिक साधन के आधार पर दो उत्तराधिकारी राज्यों (बिहार राज्य और झारखंड राज्य) में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें उनके अधिकार और विशेषाधिकार विधायी द्वारा संरक्षित किए जा रहे हैं।

अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत अधिनियमन को अभी भी झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में एक प्रवासी माना जा सकता है, जो उन्हें उनके विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित करता है, जिन्हें एकीकृत राज्य बिहार में राष्ट्रपति आदेश 1950 की शुरुआत से ही पदधारी या उनके वंशजों ने प्राप्त किया है।

47. बिहार राज्य के मामलों के संबंध में नियत दिन से तुरंत पहले सेवारत कर्मचारियों के संबंध में -

संबंधित, अधिनियम 2000 के भाग VIII के तहत उनकी सेवा शर्तों की रक्षा करने और इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

भारत सरकार ने धारा 72 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य को कर्मचारियों के आवंटन के लिए मानदंड निर्धारित करने वाली एक योजना बनाई और विशेष रूप से, अब तक अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संबंध है, आवंटन (1) अधिवास (2) कर्मचारी के विकल्प (3) यदि अभी भी पद खाली हैं, तो उन लोगों के बीच आवंटन किया जाता है जो वरिष्ठता के विपरीत क्रम में 'कनिष्ठता' संवर्ग में हैं। अधिनियम, 2000 के तहत सेवारत कर्मचारियों की सेवा शर्तों की रक्षा के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश का उद्धरण यहां प्रस्तुत किया गया है:

" कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

राज्य पुनर्गठन

परिचय

राज्य पुनर्गठन अधिनियम नवंबर 2000 में लागू किए गए थे

उत्तर के तत्कालीन मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन का उद्देश्य

प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। नतीजतन, यूपी था

यूपी और उत्तराखंड में विभाजित, एमपी एमपी और छत्तीसगढ़ बना

और बिहार को बिहार और झारखंड में पुनर्गठित किया गया। के अनुसार

इन तीन अधिनियमों के प्रावधान केंद्र सरकार के पास निहित हैं -

के बीच कर्मियों की सेवाओं के आवंटन के लिए प्राधिकरण

कार्मिक एवं विकास विभाग में संगठन (एस. आर.) प्रभाग प्रशिक्षण। वर्तमान में राज्य सरकार के कर्मचारियों का आवंटन

उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच, मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ और बिहार/झारखंड में है।

प्रगति।

आबंटन का आधार

नियत दिन

एस. आई.

राज्य

नहीं।

मध्य प्रदेश

1 .

01.11.2000

उत्तर प्रदेश

2 .

09.11.2000

3 .

बिहार

15.11.2000

नियुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या/रिक्तियां मौजूद थीं।

उत्तराधिकारी के बीच पदों के आवंटन के लिए दिन आधार है।

राज्यों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए नियत दिन और बिहार निम्नानुसार हैं:

पंकाज कुमार बनाम। झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

आबंटन के मानदंड

अधिवास (गृह जिला), शेष पदों को भरने के लिए, संवर्ग में वरिष्ठता की स्थिति में नीचे के कर्मचारियों को उनके विकल्पों के खिलाफ भी आवंटन के लिए माना जाता है। एक बार विकल्प कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कार्य प्रतिवर्ती नहीं है। जिन कर्मचारियों को उनकी इच्छा के खिलाफ अधिवास और कनिष्ठता के आधार पर आवंटित किया गया था, उनके द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी को ध्यान में रखते हुए, कई

कुछ वर्गों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में अपवाद किए गए थे राज्यों को उनके विकल्प के अनुसार आवंटित किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या।

उपर्युक्त नीति के निम्नलिखित अपवाद हैं:

श्रेणियाँ

विवरण

एस. आई.

नहीं।

विकल्प के आधार पर आवंटित

महिला कर्मचारी।

((i)

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

विकल्प के आधार पर आवंटित

((ख)

विकल्प के आधार पर आवंटित

(iii)

विकलांग व्यक्ति

((iv)

जीवनसाथी की नीति

दोनों पति होने के लिए

पाप करते

हैं

ए को आवंटित किया गया

के आधार पर उत्तराधिकारी राज्य

उनका विकल्प

चिकित्सीय कठिनाइयाँ

आबंटन इस पर आधारित है कि

(v)

निम्नलिखित में विकल्प

मामले

चिकित्सा कठिनाइयों के मामले

स्वयं या परिवार #

(अ)

कैंसर रोगी

केवल स्वयं

अंधापन।

(ख)

सेल्फ केवल तभी करें जब इन के

साथ किया जाए

अलविदा-पास

दिल।

((ग)

तारीख से दो साल

सर्जरी

प्रतिनिधित्व

है।

माना जाता है

द्वारा

द.

समिति

स्वयं परिवार #

गुर्दा

((घ)

प्रत्यारोपण /

गुर्दे की विफलता और

जारी रखें

पर

डायलिसिस

मानसिक बीमारी

स्वयं या परिवार #, प्रतिबंधित

(ई)

के लिए इनडोर उपचार के लिए

कम से कम तीन महीने

विकल्प के आधार पर आवंटित

भोपाल गैस त्रासदी

(च)

स्वयं/परिवार इससे अधिक है

रु. 50,000 / - या अधिक

एससी/एसटी कर्मचारी

आबंटित आधारित

पर

अधिवास या पर

विकल्प

आधार।

#परिवार में जीवनसाथी, आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।

(च) अंतिम आवंटन

राज्य सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सिफारिशें के अनुसार हैं

पुनर्गठन पर दिशानिर्देश, केंद्र सरकार उत्तराधिकारी राज्यों के बीच कर्मियों का अंतिम आवंटन जारी करती है।

अधिनियम 2000 के भाग VIII के तहत धारा 74 के साथ पठित धारा 73 के आधार पर जो स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित तिथि से तुरंत पहले नियुक्त किए गए, वर्तमान में उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में आने वाले किसी भी क्षेत्र में बिहार राज्य के मामलों के संबंध में किसी भी पद या पद का धारण या निर्वहन करने वाले, उत्तराधिकारी राज्य में उसी पद या पद पर बने रहेंगे, बशर्ते कि बिहार राज्य में बने रहने के लिए विकल्प का प्रयोग किया गया हो, उन्हें उत्तराधिकारी राज्य के पद या पद पर विधिवत नियुक्त माना जाएगा। नतीजतन, ऐसे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं

15 नवंबर, 2000 को या उससे तुरंत पहले, उन 18 जिलों में जिन्हें अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में झारखंड राज्य का हिस्सा बनाया गया है, उन्हें संबंधित उत्तराधिकारी राज्य झारखंड में नियुक्त माना जाएगा, उनकी सेवा शर्तों को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जाएगा। इस उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 73 और 74 को नीचे निकाला गया है:

" धारा 73. सेवाओं से संबंधित अन्य प्रावधान। (1)

धारा 72 में कुछ भी नियत दिन पर या उसके बाद संविधान के भाग XIV के अध्याय I के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा, जो राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के निर्धारण के संबंध में है।

बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति के मामले में नियत दिन से तुरंत पहले लागू होने वाली सेवा की शर्तें धारा 72 के तहत बिहार राज्य या झारखंड राज्य को आवंटित किया गया समझा गया केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उसके नुकसान के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

पंकाज कुमार बनाम। झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

(2) किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दिन से पहले प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं

(क) यदि यह समझा जाता है कि उसे धारा 72 के तहत किसी राज्य को आवंटित किया गया है, तो यह माना जाएगा कि

उस राज्य के मामलों से संबंध;

(ख) यदि यह समझा जाता है कि उसे झारखंड के प्रशासन के संबंध में संघ को आवंटित किया गया है, तो यह माना जाएगा कि उसे संघ के मामलों के संबंध में, उसके प्रशासन को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रदान किया गया है।
सेवा की शर्तें।

(3) धारा 72 के प्रावधान किसी भी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे। धारा 74। एक ही पद
पर अधिकारियों के बने रहने के बारे में प्रावधान। -प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन से ठीक पहले किसी भी क्षेत्र में, जो उस दिन उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी के अंतर्गत आता है, मौजूदा बिहार राज्य के मामलों के संबंध में किसी पद या पद के कर्तव्यों का निर्वहन या निर्वहन कर रहा है, उस उत्तराधिकारी में उसी पद या पद पर बना रहेगा।

राज्य, और यह समझा जाएगा कि उस दिन और उस दिन से, सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार द्वारा पद या पद पर विधिवत नियुक्त किया गया है।

उस उत्तराधिकारी राज्य में अन्य उपयुक्त प्राधिकरणः बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन और उससे ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसे पद या पद पर बने रहने को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित करने से रोकने वाली नहीं मानी जाएगी।

49. अधिनियम 2000 की योजना में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जो कर्मचारी बिहार राज्य में नियत तिथि को या उससे तुरंत पहले काम कर रहे हैं, उनके पास या तो उन जिलों का अधिवास है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य का हिस्सा बने हैं या उन्होंने राज्य में कनिष्ठ होने का विकल्प चुना है या इसमें शामिल हुए हैं। उनकी संबंधित वरिष्ठता, झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में समाहित है और एक वैधानिक साधन के आधार पर, उनकी सेवा की शर्तें संरक्षित हैं और विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने के हकदार बन गए हैं जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य समय-समय पर संशोधित राष्ट्रपति आदेश 1950 के संदर्भ में हकदार हैं।

50. इस न्यायालय ने सुधाकर विट्ठल कुंभारे (ऊपर) में विवाद की लगभग समान प्रकृति की जांच करते हुए कहाः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त जनजाति दोनों राज्यों में मान्यता प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रश्न को उठाया और उत्तर दिया जाना आवश्यक है, वह यह होगा कि क्या किसी एक क्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में इसके विभाजन के बावजूद समान लाभ मिलते रहेंगे। यह पता लगाने के लिए कि क्या देश के किसी विशेष क्षेत्र को सुरक्षा देने की आवश्यकता थी, यह एक ऐसा मामला है जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच की आवश्यकता है कि छिंदवाड़ा जिले में पंढर और चंद्रपुर क्षेत्र का एक हिस्सा दोनों एक समय में एक ही क्षेत्र के थे और संविधान के तहत थे। (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 क्योंकि यह मूल रूप से उस क्षेत्र की जनजाति हलबा/हलबी थी, को समान सुरक्षा दी जा सकती है। इस प्रकृति के मामले में विनिर्देशन के लिए इनपुट का गठन करने वाले विभिन्न तत्वों के नुकसान की मात्रा पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती है और पुनर्गठन के बाद भी महाराष्ट्र राज्य

हो सकता है कि उक्त जनजाति हलबा/हलबी को पंकाज कुमार बनाम के रूप में शामिल करने के लिए सहमति हुई हो।

झारखंड राज्य और ओ. आर. एस. [आरएएसटीओजी, जे।]

महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के संबंध में मन में तथ्य कहा। "

51. यह एक ऐसा मामला था जिसमें व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य था जिसे हलबा/हलबी के नाम से जाना जाता था। इस जनजाति की उत्पत्ति जिले में हुई थी।

छिंदवाड़ा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है, छिंदवाड़ा स्थान चंद्रपुर जिले का एक हिस्सा है, राज्यों के पुनर्गठन पर, मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र के मौजूदा राज्य में आया, इसे मध्य प्रदेश राज्य से महाराष्ट्र राज्य में प्रवास का मामला नहीं माना जाता था। लेकिन महाराष्ट्र राज्य मौजूदा राज्य होने के नाते और विभिन्न तत्वों के नुकसान की डिग्री महाराष्ट्र शहर बोर्ड राज्य द्वारा उठाई जा रही आपत्ति पर अलग हो सकती है, जहां पदधारी को नियुक्त किया गया था, इसे कुमारी माधुरी पाटिल में इस न्यायालय के एक फैसले के अनुसार गठित और स्थापित जांच समिति द्वारा जांच के लिए खुला छोड़ दिया गया था और

एक और बनाम। अतिरिक्त। आयुक्त, जनजातीय विकास और अन्य "। 52. झारखंड राज्य के वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों में एक मौलिक द्विभाजन है कि मौजूदा सेवा की शर्तें

पदोन्नति संवर्ग पद में आरक्षण के लाभ सहित उसके नुकसान के लिए भिन्न नहीं होगा, लेकिन उसे सार्वजनिक रोजगार में भाग लेते समय झारखंड राज्य में प्रवासी माना जाएगा।

खुली/सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करें और इसका लाभ लेने के लिए कहा जाए

अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर अवशोषित होने के बाद झारखंड राज्य में संरक्षित नहीं किया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से न केवल मौजूदा सेवा शर्तों की रक्षा करने के लिए अभिनिर्धारित करता है, बल्कि आरक्षण और विशेषाधिकारों का लाभ जो वह बिहार राज्य में नियत दिन, यानी 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले प्राप्त कर रहा था, झारखंड राज्य में सेवा का सदस्य बनने के बाद उसके नुकसान के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। 7 1994 (6) एससीसी 241 [2021] 8 एस. सी. आर.

54. अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के सामूहिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके मूल/अधिवास का स्थान नियत दिन या उससे पहले बिहार राज्य का था, अब बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं।

उन जिलों/क्षेत्रों के भीतर जो एक उत्तराधिकारी राज्य बनाते हैं, यानी अधिनियम, 2000 की धारा 3 के तहत झारखंड राज्य झारखंड राज्य का सामान्य निवासी बन गया, जहां तक कि वे कर्मचारी जो निर्धारित दिन, यानी अधिनियम 2000 के तहत 15 नवंबर, 2000 को या उससे पहले बिहार राज्य में सार्वजनिक रोजगार में थे, उनके अलावा जो झारखंड राज्य का हिस्सा बने किसी भी जिले के अधिवासी हैं, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपना विकल्प प्रस्तुत किया है या ऐसे कर्मचारी जो भारत सरकार की नीति के अनुसार अपनी वरिष्ठता के संवर्ग में कनिष्ठ हैं, जिनमें से एक संदर्भ दिया गया है, या तो स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से झारखंड राज्य की सेवा करने के लिए बुलाए जाते हैं, उनकी मौजूदा सेवा शर्तें - 55. हमारे सुविचारित विचार में, ऐसे कर्मचारी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, जिनकी जाति/जनजाति को अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन द्वारा अधिसूचित किया गया है या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए अलग अधिसूचना द्वारा, विशेषाधिकारों और उनके प्रवाहित लाभों सहित आरक्षण का लाभ, अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित रहेगा, जिनका दावा (उनके बच्चों सहित) सार्वजनिक रोजगार में भागीदारी के लिए किया जा सकता है।

56. यह स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति बिहार या झारखंड के किसी भी उत्तराधिकारी राज्य में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है, लेकिन आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

झारखंड राज्य में खुले चयन में भाग लेते समय उत्तराधिकारी राज्य और आरक्षित श्रेणी के सदस्य और उत्तराधिकारी राज्य बिहार के निवासी दोनों को निम्नानुसार माना जाएगा -

प्रवासी हों और यह आरक्षण के लाभ का दावा किए बिना सामान्य श्रेणी में भाग लेने के लिए खुला होगा और इसके विपरीत। 57. हमारा विचार है कि 2020 की सिविल अपील @एस. एल. पी. (सिविल) No.13473 में वर्तमान अपीलार्थी पंकज कुमार, अधिनियम 2000 की धारा 73 के आधार पर झारखंड राज्य में सेवारत कर्मचारी होने के नाते, आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार होगा, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों के लिए पंकाज कुमार बनाम में स्वीकार्य विशेषाधिकार और लाभ शामिल हैं।

झारखंड राज्य में भागीदारी सहित सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रोजगार की तलाश में खुली प्रतियोगिता।

58. जहाँ तक सिविल अपील @एसएलपी में अन्य अपीलार्थियों का मामला है

(सिविल) सं। 3610-3615 2021 के संबंध में, उनमें से किसी ने भी इस बात को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी है कि वे कितने समय से उन जिलों में रह रहे थे जो अब झारखंड राज्य के उत्तराधिकारी राज्य का हिस्सा हैं और वर्ष 2004 के विज्ञापन में आवश्यक है कि किसी को झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा और उनमें से किसी ने भी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। जैसा कि हमने देखा है, अपीलार्थियों के वर्तमान बैच को वर्ष 2005 में झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के खिलाफ कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, हमारे विचार में, झारखंड राज्य में प्रवासी थे जो उन्हें अयोग्य ठहराएंगे।

इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के लाभ का दावा करना, जिसका एक संदर्भ दिया गया है (ऊपर)।

59. लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें हालांकि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, कि अपीलकर्ताओं ने 13 तारीख के एक विज्ञापन के अनुसार अपना आवेदन ईमानदारी से प्रस्तुत किया था।

कांस्टेबल के पद के लिए चयन करने वाले झारखंड राज्य द्वारा जनवरी, 2004 में जारी किया गया और यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि किसी भी अपीलार्थी ने चयन में भाग लेते समय गलत तरीके से प्रस्तुत किया है।

प्रक्रिया या वह जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जिससे अपीलकर्ता में से कोई भी संबंधित है, संविधान (अनुसूचित जाति)/(अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अधिसूचित नहीं किया जा रहा है, जिसे अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के संदर्भ में संशोधित किया गया है या अन्य पिछड़ा वर्ग का वर्ग जिसे झारखंड राज्य द्वारा अधिसूचित किया गया है और एक बार अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के बाद, तीन-चार साल की चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, उनकी सेवाएं जून, 2008 में समाप्त कर दी गईं और जिनकी कभी गलती नहीं थी, वे मुकदमेबाजी में लगभग 13 साल खो चुके हैं और बाद के चरण में रोजगार हासिल नहीं कर सके हैं। विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों और प्रदान की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, पूर्ण न्याय करने के लिए, प्रत्येक अपीलार्थी की सेवा में बहाली का अधिकार है।

वेतन और भत्ते आदि। 60. नतीजतन, अपीलें सफल होने के योग्य हैं और हम मानते हैं कि 24 फरवरी, 2020 का उच्च न्यायालय का बहुमत निर्णय अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया गया है। हम भी सहमत नहीं हैं [2021] 8 एस. सी. आर.

सैद्धांतिक रूप से अल्पमत निर्णय के साथ और यह स्पष्ट करें कि व्यक्ति उत्तराधिकारी राज्य बिहार या झारखंड राज्य में से किसी में भी आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार है, लेकिन दोनों राज्यों में एक साथ आरक्षण के विशेषाधिकारों और लाभों का दावा करने का हकदार नहीं होगा और यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के जनादेश को विफल कर देगा।

61. तदनुसार, 2020 की सिविल अपील @एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 13473 में अपीलार्थी पंकज कुमार को विज्ञापन संख्या के संदर्भ में उनके चयन के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। 11 वर्ष 2007 से वह अपनी वरिष्ठता के लिए योग्यता के क्रम में अपनी नियुक्ति के अनुसार काल्पनिक निर्धारण के साथ हकदार है।

वेतन और भत्ते और सिविल अपील @एसएलपी (सिविल) संख्या। 3610-3615 2021 के प्रत्येक अपीलार्थी की समाप्ति के आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है और अपीलार्थी को काल्पनिक वेतन और भत्तों के साथ सेवा में बहाल किया जाएगा और वे नियुक्ति/बहाली की तारीख तक वेतन के बकाया के हकदार नहीं होंगे।

62. नतीजतन, उपरोक्त शर्तों में अपीलों का निपटारा कर दिया जाता है और छह सप्ताह के भीतर अनुपालन किया जाएगा। कोई लागत नहीं।

63. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन